न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 178/2018

–: अनवान :–

उर्मिला पुत्री दुलीचन्द पत्नी चेतराम जाति नायक निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

....प्रार्थीया

बनाम

1. अमीलाल पुत्र रामरख जाति नायक निवासी वार्ड न. 09 पुराना आवासन मण्डल कॉलोनी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।
3. उप–पंजीयक, सूरतगढ़।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. राज पैराकार तहसीलदार सूरतगढ़

–.:: निर्णय ::–

दिनांकः– 25.10.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया उर्मीला देवी व मूल वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 सगे भाई बहन हैं व प्रतिवादी संख्या 2 सोनादेवी माता हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 अमीलाल चाचा हैं। तहसील सूरतगढ़ की रोही ढ़ाढ़ियावाली के खसरा नम्बर 168/11 की 6.325 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 170/2 की 3.795 हैक्टेयर कुल 10.120 हैक्टेयर आरजी आंवटित भूमि रामरख पुत्र शिवदान जाति नायक निवासी सूरतगढ़ के नाम से टी.सी. पर आवंटित भूमि थी। जिसकी पुष्टि निर्णय दिनांक 18.12.2015 प्रकरण संख्या 218/15 खातेदारी सनद से होती हैं। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 168/11 की 2.530 हैक्टेयर भूमि घग्घर फल्ड कन्ट्रोल बहाव क्षेत्र में होने से खातेदारी सनद् ना देकर शेष भूमि खसरा नम्बर 118/11 की 3.795 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 170/2 की 3.795 हैक्टेयर कुल 7.590 हैक्टेयर खातेदारी अधिकार दुलीचन्द, अमीलाल पिसरान

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

रामरख के नाम से प्रदत्त किये गये। वादाधीन भूमि प्रार्थीया के पिता दुलीचन्द का विरासतन प्राप्त होने से पैतृक भूमि की श्रेणी में आती हैं तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में पुत्र व पुत्रीयों का जन्मतः हक व हिस्सा होता है। इस प्रकार प्रार्थीया का पैतृक भूमि जो दुलीचन्द को 3.795 हैक्टेयर खातेदारी प्राप्त हुआ है, में 1/5 हिस्सा व वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा होता हैं जिसे घोषित करवाने का प्रार्थीया हकदार है। प्रार्थीया का पिता दुलीचन्द का स्वर्गवास दिनांक 10.02.2016 कोहो चुका है। दिनांक 31.12.2015 को जरिये उपहार संलेख गिफ्ट डीड दुलीचन्द द्वारा बहक प्रतिवादी संख्या 1 अमीलाल पैतृक भूमि रोही ढ़ाढ़ियावांली खसरा नम्बर 168/11 की 3.795 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 170/2 की 3.795 हैक्टेयर कुल में से अपने 1/2 अर्थात 3.795 हैक्टेया खातेदारी भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दाता धोखा देकर कपट पूर्वक दस्तावेज निष्पादन करवा लिया है। सर्वप्रथम तो भूमि स्वअर्जित ना होकर पैतृक भूमि की श्रेणी में आती तो अपने हिस्सा अर्थात 1/5 हिस्सा भूमि से ज्यादा हस्तान्तरण, विक्रय दान पत्र, वसीयत द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थी सख्या 1 अमीलाल जो प्रार्थीया का चाचा है, पढ़ा लिखा व चालाक व्यक्ति हैं तथा आकाशवाणी सूरतगढ़ में कर्मचारी केन्द्रीय सेवा में हैं। दुलीचन्द अनपढ़ व भोला हैं जिसका फायदा उठाकर भूमि पर कृषि ऋण लेने के बहाने से मुगालता देकर दान पत्र अपने हक में निष्पादित करवा लिया जबकि दुलीचन्द इस प्रकार दान पत्र निष्पादित करवाने का कतई हकदार नहीं था। दिनांक 31.12.2015 को दान पत्र विलेख निष्पादन हुआ। उस दिन राजस्व रिकार्ड में भूमि रकबा राज थी। स्व. दुलीचन्द लाऔलाद भी नहीं था। केवल मात्र 3.795 हैक्टेयर भूमि का खातेदार कृषक था। उसके जीवनकाल में चार पुत्र/पुत्रीया सदस्य मौजूद थे। उन्हें अपने परिवार की फिक्र भी थी, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने उन्हें धोखे में रखकर दान पत्र निष्पादन करवा लिया। इस प्रकार उक्त दान पत्र दिनांक 31.12.2015 Null and Void (प्रभावशून्य) होने से प्रार्थीया व वाद पत्र में अंकित प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हितो पर प्रभावशून्य हैं। प्रार्थीया का चाचा अमीलाल अप्रार्थी संख्या 1 से हिस्सा मांगा तो वे साफ इन्कार हो गये और कहा कि मेरा भाई मुझे भूमि जरिये दान पत्र कर गया है तुम्हारा कोई हक नहीं हैं और ना ही तुम्हें कुछ दुंगा। तुम्हें जो दावा फसाद करना हैं तो कर लो तथा भूमि मेरे नाम से हैं, मैं इस भूमि का बेचान करूंगा। अगर अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा वाद पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि रोही ढ़ाढ़ीयावाला खसरा नम्बर 168/11 की 3.795 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 170/2 की 3.795 हैक्टेयर कुल 7.590 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि दौराने वाद पत्र किसी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

भी प्रकार से रहन दान बैय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण ना करने बाबत अप्रार्थी न. 1 को पावन्द किया जावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.10.2018 को जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अभिभाषक हाजिर आये तथा अपना जवाब प्रस्तुत किया।

उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि यह तथ्य कतई स्वीकार नहीं हैं कि भूमि पैतृक थी, रकबा प्रार्थीया के पिता के नाम आराजी काश्त(T.C.) का था व उसी की खातेदारी स्वंय प्रार्थीया के पिता दुलीचन्द के नाम से जारी हुई थी न कि पिता रामरख के नाम खातेदारी हुई। रकबा पूरी तरह से प्रार्थीया के पिता का स्वअर्जित रकबा था व उस रकबा को गिफ्ट डीड में देने का प्रार्थीया के पिता दुलीचन्द को पूरा पूरा अधिकार था। पैतृक भूमि वह होती है जो किसी व्यक्ति के पिता को उसके पिता–दादा तीन पीढी से उपर से आई हो, मौजूद प्रकरण में तो रकबा प्रार्थीया के पिता के नाम से T.C.का रकबा था व प्रार्थीया प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में स्वंय मान रही हैं कि दिनांक 18.12.2015 को खातेदारी अधिकार प्रार्थीया के पिता को प्राप्त हुए व तारीख 19.01.2016 को इन्तकाल न. 265 पिता के नाम दर्ज हुआ। उससे पहले तो रिकार्ड में रकबा राज दर्ज था। प्रार्थीया ने अपने दावा व प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह रकबा प्रार्थीया के दादा–परदादा से प्रार्थीया के पास बतौर खातेदारी विरासतन आई हो। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र में झुठे तथ्यो का सहारा लिया हुआ है जो कतई स्वीकार्य नहीं है। यह तथ्य इन्कार हैं कि प्रार्थीया के पिता से अप्रार्थी ने गिफ्ट धोखा से करवाया गया हैं। प्रार्थीया का पिता एक समझदार व्यक्ति था व रोबरू गवाहान स्वैच्छा से अपने विवेक पूरी समझदारी अपनी स्वअर्जित भूमि का गिफ्टडीड(दान पत्र) श्रीमान उप–पंजीयक महोदय के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक करवाया गया था। गिफ्टडीड पूरे स्टाम्प पर लिख कर रोबरू गवाहान उप–पंजीयक महोदय के कार्यालय में तस्दीक करवाया गया, एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। जब तक सीविल अदालत से रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक इस अदालत को रजिस्टर्ड दस्तावेज को मानना कानूनी रूप से आवश्यक है। इसलिए भी प्रकरण सीविल किस्म का होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार के आधार पर सुनवाई का कतई अधिकार(Jurisdiction)नहीं हैं। इसलिए सुनवाई की क्षेत्र अधिकारिता नहीं होने से प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में किसी प्रकार का आदेश पारित

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

नहीं किया जा सकता व एक तरफा तौर पर जो आदेश दिनांक 29.10.2018 को जारी किया गया हैं वह एकतरफा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत व अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया हुआ होने से खारिज किया जावे। यह कहना भी गलत हैं कि अप्रार्थी आज भी आकाशवाणी में सेवारत है। प्रार्थीया ने कृषि ऋण लेने की बात कही, ऋण बैंक से मिलता, जिस दिन दान पत्र तस्दीक करवाया गया उस दिन रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हो चुके थे। प्रार्थीया एक तरफ तो दान पत्र तस्दीक के दिन रकबा राज बता रही हैं व साथ में रकबा दांदा–परदादा से विरासतन आना बता रही हैं, प्रार्थीया स्वंय ही यह नहीं समझ पा रही हैं कि रकबा किस प्रकार का बताये, जब प्रार्थीया स्वंय को ही यह पता नहीं हैं कि रकबा किस श्रेणी का हैं व प्रार्थीया स्वंय दान पत्र को नल एण्ड वोयड बता रही हैं तो प्रकरण सीधा सीधा सीविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हैं प्रार्थीया के पिता का रकबा स्व अर्जित खातेदारी रकबा था उसको दान पत्र के द्वारा अप्रार्थी को गिफ्ट डीड करवाने का पूरा पूरा अधिकार था। प्रार्थीया के पिता ने दान पत्र के माध्यम से जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी को दिया व अप्रार्थी ने स्वीकार कर लिया। प्रार्थीया के पिता द्वारा पंजीयन नियमों की पालना करते हुए एक वैध दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाया है जो उसे तस्दीक करवाने का पूरा पूरा सवैधानिक व कानूनी अधिकार था। जैरप्रकरण रकबा बाबत एक पुलिस प्रकरण भी दर्ज करवाया गया था। जिसको पूरी जांच करके व सबन्धित सभी पक्षो के ब्यान जैसे गवाहान व एस.आर. साहब सहित लेकर प्रकरण के रकबा बाबत तस्दीक सुद्वा दान पात्र को स्वेच्छा से पूरी जानकारी मे होते हुए दर्ज करवाया गया। माना कब्जा कास्त अप्रार्थी का मानते हुए प्रकरण मे एफ.आर. लगाते हुए दान पात्र को सही माना गया है। जहा तक प्रार्थीया का यह कहना कि उसके पिता के उसकी पत्नी पुत्र व पुत्रिया है दान पत्र क्यो किया पूरे परिवार ने अप्रार्थी से घरेलू कार्य मकान बनाने बच्चो की पढ़ाई के लिए व अन्य जयदाद बनाने के लिए रूपये बहुत बार सभी ने मिलकर सहमती से रूपये उधारे लिये हुए होने से ही यह दान पत्र करवाया है। बड़े पुत्र के बयान भी इस बाबत संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीया कुल रकबा 7.590 हैक्टेयर में अपने पिता के 1/2 हिस्सा में 1/5 हिस्सा ही मान रही हैं जबकि अदालत ने सारे रकबा रकबा पर टी.आई जारी कर दी जिससे अप्रार्थी कृषि के लिए बूंद बूंद सिंचाई पद्धती के लिए सहकारी समिति से खाद बीज के लिए ट्यूबवैल के लिए व ट्यूबवैल की लाईट के लिए कृषि औजारो के लिए किसी भी प्रकार से वो सहायता पाने से वंचित हो गया है जो राज्य सरकार द्वारा ही जाती है अप्रार्थी अनुसूचित जाति का पिछड़ा किसान हैं जिसे सरकारी सहायता की हर समय आवश्यकता रहती हैं। प्रार्थीया के साथ कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं जो बार बार मुझ अप्रार्थी से रूपयो की मांग कर रहे है व कह रहे हैं कि अप्रार्थी उनको रूपये दे दे तो वो लोग प्रार्थीया से मुकदमा वापिस करवा देगें, वरना और भी झूठे मुकदमो में फंसाया जावेगा। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

हैं जिसके अधिकारो को वंचित रखने के लिए टी.आई. जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए भी पूर्व में जारी एकतरफा टी.आई निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जावे। विभिन्न उच्च अदालतों द्वारा भी अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती व एक खातेदार काश्तकार को दुसरे खातेदार को उसके हक तक के रकबा को बेचान करने से रोका नहीं जा सकता। कानूनी नजीर आर.आर.डी. 1984 पेज न. 492, आर.बी.जे. 2006 पेज 21, आर.आर.टी. 2013 पेज 1108, आर.एल.डब्ल्यू. 2013 पेज 728 में माना हैं कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती। प्रथम दृष्टया भी प्रकरण प्राथीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं। अतः निवेदन हैं कि अदालत द्वारा जारी किया गया अन्तरिम आदेश एकतरफा, प्राकृतिक न्याय के प्रावधानो के विपरीत व कानून सम्मत नहीं होने निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का तथा सम्बन्धित कानूनी प्रावधानो का अवलोकन किया। जैरप्रकरण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थीया के पिता दुलीचन्द को स्वंय को आवंटन व खातेदारी होने से स्वअर्जित सम्पति हैं तथा पैतृक भूमि साबित नहीं होती है। दुलीचन्द ने जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र के अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम किया है जो अपनी स्वैच्छा से किया है तथा दान पत्र एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 जैरप्रकरण रकबा में रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता हैं तथा ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया की ओर है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के एक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर से मैं पूर्णतया सतुंष्ट हूँ कि अप्रार्थी संख्या 1 रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती हैं। इस लिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता हैं तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.10.2018 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Scanned by CamScanner